रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249152
CG-DL-E-04102023-249152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2023/आश्विन 11 , 1945
No. 675] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

फा.सं. एचक्यू-13073/1/2020-एचक्यू-II(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, के अभिप्राय वही होंगे जो क्रमशः अधिनियम, नियमों या अन्य विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, में समनुदेशित हैं।

3. अधिप्रमाणन के लिए फीस.—(1) यदि प्राधिकरण की ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करके केयूए या सब-केयूए द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित उत्तर ऐसे केयूए या सब-केयूए को वापस भेज दिया जाता है, जिसमें—

(क) अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों सहित ई-केवाईसी डेटा अंतर्विष्ट है, जहां वह केयूए या सब-केयूए—

(i) एक दूरसंचार सेवा प्रदाता है, एक रुपए की फीस; और

(ii) एक दूरसंचार सेवा प्रदाता से इतर है, तीन रुपए की फीस;

(ख) खंड (क) में संदर्भित से इतर है, पचास पैसे की फीस,

उक्त केयूए या सब-केयूए, जैसी भी स्थिति हो, को प्रभार्य होगी और प्राधिकरण को देय होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, "दूरसंचार सेवा प्रदाता" का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के तहत एक्सेस सेवाओं के लिए प्राधिकार प्राप्त यूनिफाईड लाइसेंस का धारक या यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस का धारक है।

(2) यदि प्राधिकरण की हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करके एयूए या सब-एयूए द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने पर, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया ऐसे एयूए या सब-एयूए को लौटा दी जाती है, तो पचास पैसे का फीस उक्त एयूए या सब-एयूए, जैसी भी स्थिति हो, को प्रभार्य होगी और प्राधिकरण को देय होगी।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट फीस—

(a) लागू करों सहित होगी;

(b) जिस कैलेंडर माह में आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 प्रवृत्त हुआ, उसकी समाप्ति से चौबीस कैलेंडर महीनों की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, ऐसी अवधि की समाप्ति के कैलेंडर माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात के समानुपात में, निकटतम दस पैसे तक पूर्णांकित हो, पुनरीक्षित होगी :

परंतु यह कि प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे पुनरीक्षण को ऐसी अवधि तक आस्थगित कर सकेगा जैसी वह विनिर्दिष्ट करे; और

(c) केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के संबंध में प्रभार्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" का अभिप्राय समय-समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) होगा।

4. फीस के भुगतान के लिए समय.—(1) विनियम 3 के अंतर्गत प्रभार्य फीस इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा चालान जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर देय होगी।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित अवधि की समाप्ति के बाद, विनियम 3 के अंतर्गत प्रभार्य फीस के भुगतान में किसी भी देरी पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, जो मासिक रूप से चक्रवर्धित होगा।

(3) विनियम 3 में संदर्भित कोई भी केयूए, सब-केयूए, एयूए या सब-एयूए, जिसने यहां उल्लिखित अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग समाप्त कर दिया है, प्राधिकरण को ऐसी समाप्ति की सूचना देगा :

परंतु यह कि विनियम 3 में विनिर्दिष्ट फीस केयूए, सब-केयूए, एयूए या सब-एयूए, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रमाणीकरण सुविधा के ऐक्सेस को त्यागने तक और ऐसी ऐक्सेस के निष्क्रिय होने तक प्रभार्य बनी रहेगी।

निखिल सिन्हा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./456/2023-24]

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II-HQ(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 read with sub-section (1) of section 8 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), and in supersession of the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—All words and expressions used in these regulations that are defined in the Act or the rules and other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, rules or other regulations, as the case may be.

3. Fee for authentication.—(1) If upon submission of an Aadhaar number by a KUA or sub-KUA using the e-KYC authentication facility of the Authority, a digitally signed response is returned to such KUA or sub-KUA, which—

(a) contains e-KYC data along with other technical details related to the authentication transaction, where that KUA or sub-KUA is—

(i) a Telecom Service Provider, a fee of one rupee; and

(ii) other than a Telecom Service Provider, a fee of three rupees,

(b) is other than that referred to in clause (a), a fee of fifty paise,

shall be chargeable to that KUA or sub-KUA, as the case may be, and payable to the Authority.

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation, "Telecom Service Provider" shall mean a person who is a Unified Licensee having Access Services authorisation or a Unified Access Services Licensee, under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).

(2) If upon submission of an Aadhaar number by an AUA or sub-AUA using the Yes/No authentication facility of the Authority, a digitally signed response is returned to such AUA or sub-AUA, a fee of fifty paise shall be chargeable to that AUA or sub-AUA, as the case may be, and payable to the Authority.

(3) The fee specified in sub-regulations (1) and (2)—

(a) shall be inclusive of applicable taxes;

(b) shall, upon completion of every period of twenty-four calendar months from the end of the calendar month in which the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021 came into force, stand revised in proportion to the ratio of the Consumer Price Index for the calendar month at the end of such period to that for the calendar month in which the said regulations came into force, rounded off to the nearest ten paise:

Provided that the Authority may, by notification, defer such revision by such period as it may specify; and

(c) shall be not chargeable in respect of use of Authentication facility by or on behalf of the Central Government, any State Government or the Authority.

***Explanation.*—**For the purposes of this sub-regulation, "Consumer Price Index" shall mean the Consumer Price Index (Combined) released by the National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India from time to time.

4. Time for payment of fee.—(1) The fee chargeable under regulation 3 shall be payable within a period of thirty days from the date of issuance of an invoice by the Authority in this behalf.

(2) Any delay in payment of the fee chargeable under regulation 3, beyond expiry of the period referred to in sub-regulation (1), shall attract interest at the rate of 1.5*per cent.* per month, compounded monthly.

(3) Any KUA, sub-KUA, AUA or sub-AUA referred to in regulation 3, who discontinues the use of the Authentication facility referred to therein shall intimate such discontinuation to the Authority:

Provided that the fee specified in regulation 3 shall continue to be chargeable till the surrender of access to the Authentication facility by the KUA, sub-KUA, AUA or sub-AUA, as the case may be, and the deactivation of such access.

NIKHIL SINHA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./456/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.04 22:51:48 +05'30'